बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–02–7003/2025–805/ई०आ० /पटना, दिनांकः– 12 जून, 2025

आदेश

वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत्यादेश संख्या–33 स्वी०/ई०का० दिनांक–17.04.2025 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए रू० 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) की योजनाओं का कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–VI की कंडिका–1.5 के आलोक में निम्नलिखित आदेश दिया जाता हैः–

1. (क) प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) की समीक्षा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर से नामित Principal Investigator / Project evaluator द्वारा की जायेगी।

   (ख) ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) का मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना मंतव्य/सुझाव ऑनलाइन के माध्यम से देंगे :–

   (a) The project is Technically feasible and financially viable.

   (b) The project needs improvement and the improvement may be done by applicant.

   (c) The project is not fit for approval.

   (ग) ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर द्वारा नामित Principal Investigator / Project evaluator अपना मंतव्य ऑनलाइन के माध्यम से Admin (H.Q) के Login पर भेजेंगे।

   (घ) प्राप्त प्रस्ताव का तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता (Viability) का मूल्यांकन एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा।

   (ङ.) Principal Investigator / Project evaluator हेतु ईख अनुसंधान संस्थानपूसा को प्रति प्रस्ताव पर 1000 रू० का मानदेय (honorarium) प्रदान किया जायेगा।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–33 स्वी०/ई० का० दिनांक–17.04.2025 की अनुसूची–VII की कंडिका–4 के तहत् पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं विज्ञापन मद में 60.00 लाख रूपये तथा आकस्मिकता मद में 05.00 लाख रूपये कर्णांकित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

विश्वासभाजन

12/06/25

(अनिल कुमार झा)

ईखायुक्त, बिहार।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7003 / 2025–805/ई० आ० /पटना, दिनांकः– 12 जून, 2025

प्रतिलिपि– निदेशक, ईख अनुसंधान केन्द्र (SRI), पूसा, समस्तीपुर / SIO, NIC, बिहार, पटना, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7003 / 2025–805/ई० आ० /पटना, दिनांकः– 12 जून, 2025

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7003 / 2025–805/ई० आ० /पटना, दिनांकः– 12 जून, 2025

प्रतिलिपि–सभी ईख पदाधिकारी / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–7003 / 2025–805/ई० आ० /पटना, दिनांकः– 12 जून, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2025

ईखायुक्त, बिहार।